

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 277/2016-12

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अनाबाद</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>करमा</u> थाना नं० <u>318</u> खाता सं० <u>17</u> प्लॉट सं० <u>27</u> रकबा <u>2.00</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>11</u> के पृष्ठ सं० <u>123</u> पर जमाबंदी रैयत <u>सुब्रह्मण्य</u> <u>सुब्रह्मण्य - बि.व.सू. के</u> नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड भू-दान अधिनियम की धारा 11 के तहत दिए गए पंजी सं० - १५४६७, एवं निर्दिष्ट वर्ष 2015-16 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा करमा मौजा नं० 318 खाता सं० 11 प्लॉट सं० 22 रकबा 2.00 किस्म जंगल बतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार रामदास मुखिया पिता विनय मुखिया के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 123/II को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 123/II को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं छत्तरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
रामदास मुर्झा	करगा	318	17	27	2.10	जैमालुआ	जंगल भूमी
पिता-शिवरत्न मुर्झा						मालिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल भूमी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पेजी II के मांग कागज का आधार
दिए गए हैं

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पेजी II के मांग कागज
दिए गए हैं

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित यंदोवरती पंजी से :-

(ग) चाखिले-खारिज / भू-उत्सांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल कार्यालय से
पेजी II से
रजिस्ट्रार से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व से कायम है :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1940 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन 12वीं पेजी के दखल के बाद 15 जून 27 दिसंबर 2000 तक अंतिम भोग पेजी II के 123/II पर राजस्व कर्ज का बिलान किया गया है। भोग पेजी के भोग कर्म का उल्लेख नहीं है। भोगदारी का आलेख अंतिम प्रधान कर्मों पर 5 के प्रथम लेख का 85767/8727 के अंत में है। उक्त अंतिम 123/II के अंत में निर्धारण का संयुक्त प्रथम लेख नहीं किया गया है। भोग दारी का उक्त अंतिम पर दखल कब्जा 24/11/54 है। उक्त अंतिम जमीनदारी दखल की है। तथा 12वीं पेजी का दिनांक 12/11/54 है।

उक्त उपरोक्त भोग अंतिम प्रतिवेदन होता है। अंतिम कार्यालय से संपूर्ण

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सभी पाया। अतः अंतिम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया जाता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- रागदास भुसिया पिता शिवशंकर भुसिया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 11 पृष्ठ सं: 123 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
कला	318	17	27	2.00 435

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II के आधार पर नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गौतमलाल मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई अधिकार पदाधिकारी का आदेश नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

पंजी II के आधार पर नहीं है।

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- पंजी II के पर नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :-

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	352682	11/2/2005	05-06

17 27 12/3
कार्यालय, अंचल अधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

षाद अभिलेख सं० 277 / 20..... (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम रामदारा मुर्झा

पिता - शिवराम मुर्झा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कव्हा थाना नं० 3.18 खाता सं० 17 खेसरा नं० 27 रकबा 200 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० IV के पंजी-II भाग II के पृष्ठ 128 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

कुछा मुर्झा इसे सख्त ताकिद जाने।



no- 2608607185



अंचल अधिकारी,
छतरपुर।